चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 24.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ‘‘मिशन शक्ति’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ‘‘एंटी रोमियो स्क्वायड’’ टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 24.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना पहाडी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 24.03.2025 को थाना पहाडी में पंजीकृत एनसीआर न0 15/2023 धारा 323,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.चुनवाद पुत्र रामसजीवन 2.राकेश पुत्र तीरथ निवासीगण चिल्लामाफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000-2000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 24.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 202/21 धारा 354 ख,323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामू निषाद उर्फ रामू प्रसाद पुत्र जगपाल निवासी घुरेहटा मजरा बहरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 03वर्ष का सश्रम कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है दिनाँक 02.11.2021 को थाना मऊ के एक ग्राम निवासी वादिया द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी कि अभियुक्त रामू निषाद उर्फ रामू प्रसाद उपरोक्त द्वारा बुरी नियत से उठा कर पटक दिया गया छेडखानी व गाली गलौच किया और किसी को बताने पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में थाना मऊ पर मु0अ0सं0 202 /21 धारा 354 ख,323 भादवि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना तत्कालीन उ0नि0 कमलेश कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी को दिनाँक 05.01.2022 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 20.02.022 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 24.03.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2019 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लांगी प्रसाद यादव पुत्र रामजीवन निवासी रेलवे कॉलोनी बल्दाऊगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2300/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार मुख्य

आरक्षी अजय कुमार व मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 24.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 466/2010 धारा 323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता उर्फ चुक्की पुत्र स्व0 गोरेलाल निवासी सुभाष नगर कस्बा मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 06 माह का सश्रम कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार व मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 24.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 466A/2010 धारा 308,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.अभिलाष गुप्ता उर्फ छोटू पुत्र रमेश चंद्र 2.मनीष कुमार गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता निवासीगण सुभाष नगर कस्बा मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 3. सुखचैन यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी दराई मजरा चुरेह केशरवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व 09-09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.05.2010 कुंवारी धर्मेंद्र कुमार उर्फ चुक्की पुत्र गोरेलाल निवासी सुभाष नगर कस्बा व थाना मानिकपुर द्वारा सूचना दिया गया कि अभियुक्त गणों द्वारा एक राय होकर मकान में घुसकर राड, कुल्हाड़ी, डंडा से मारपीट, गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देना इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 466A/2010 धारा 308,323,504,506 भादवि0 बनाम अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक श्री बलराम सरोज को सुपुर्द की गयी। उपरोक्त विवेचक द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 26.07.2025 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।